

बीपीएल भ्रष्टाचार के बाद पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया

माही की गूँज, शाजापुर। अजय राज केवट

अकोदिया नगर परिषद में बीपीएल भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद अब प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरे बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। हर गरेक को अपना छत अपना आवास पिले, ऐसा सपना लेकर प्रधानमंत्री ने दोनों मोदी ने आवास योजना चलाई। परन्तु यहां आवास योजना भ्रष्टाचारियों के हाथ लगान के अपने लोगों को या अपने सभे संबंधियों को इस योजना का भरपूर मजाक उड़ावा गया। अकोदिया नगर परिषद में 158 आवास में आवास प्रभारी समंदर सिंह चौहान द्वारा सभे भाई-भतीजों को या एलडीसी वर्ग तीन के कर्मचारी अन्यून खा पिता सतार खा को आवास योजना में लाभ लेकर भ्रष्टाचार की एक नई मिसाल कायम की है। इसमें सोसाइटी सेसे चंद्र वर्मा से सांठ-गांठ कर पहले भी बीपीएल योजना में भ्रष्टाचार कर चुके थे और अपना यु-इन समर्थन सिंह चौहान ने शपथ-पत्र कराया किया।

शिकायतकर्ता कृष्णकांत मेवाड़ा द्वारा जिलाधीश जिला शाजापुर को दिनांक 28 दिसंबर 2020 जिसका आवक विधिक ऋणांक 78 है, आवेदन देकर आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत कर कार्रवाई हेतु मांग की है। परन्तु जिसे में बड़े उच्च अधिकारी को अकोदिया नगर परिषद के भ्रष्टाचार को बताया देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान खाली रहे हैं। जब कृष्णकांत मेवाड़ा द्वारा पूर्ण सूखत सहित शिकायत दर्ज कराई गई, तो फिर शासन के उच्च पदों पर बड़े अधिकारी द्वारा शासन की मदद में अकोदिया नगर परिषद के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने में अपनी कलम धीमी-धीमी कर्मों चला रहे हैं। शिकायतकर्ता कृष्णकांत मेवाड़ा द्वारा दिए आवेदन में बताया नगर परिषद अकोदिया जिला शाजापुर मध्य प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना

अंतर्गत लाभार्थी
आधारित व्यक्ति
आवास निर्माण वित्तार
(बीपीएल)
पीएलसी



सुचना के अधिकार के तहत अकोदिया नगर परिषद से ही सत्यपाति प्रतिलिपि प्रदान की है। उसी के आधार पर देकर भ्रष्टाचार की एक नई मिसाल कायम की है। इसमें सोसाइटी सेसे चंद्र वर्मा से सांठ-गांठ कर पहले भी बीपीएल योजना में भ्रष्टाचार कर चुके थे और अपना यु-इन समर्थन सिंह चौहान ने शपथ-पत्र कराया किया।

शिकायतकर्ता कृष्णकांत मेवाड़ा द्वारा जिलाधीश जिला शाजापुर को दिनांक 28 दिसंबर 2020 जिसका आवक विधिक ऋणांक 78 है, आवेदन देकर आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत कर कार्रवाई हेतु मांग की है। परन्तु जिसे में बड़े उच्च अधिकारी को अकोदिया नगर परिषद के भ्रष्टाचार को बताया देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान खाली रहे हैं। जब कृष्णकांत मेवाड़ा द्वारा पूर्ण सूखत सहित शिकायत दर्ज कराई गई, तो फिर शासन के उच्च पदों पर बड़े अधिकारी द्वारा शासन की मदद में अकोदिया नगर परिषद के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने में अपनी कलम धीमी-धीमी कर्मों चला रहे हैं। शिकायतकर्ता कृष्णकांत मेवाड़ा द्वारा दिए आवेदन में बताया नगर परिषद अकोदिया जिला शाजापुर मध्य प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रकरण ऋणांक 13/3/2020 स्वीकृत।

3. कृपाल पिता रतन सिंह निवासी वार्ड क्रमांक एक अकोदिया का स्वयं का कोई मकान प्लाट नहीं है। स्वामित्व प्रमाण-पत्र रतन सिंह पिता छतर सिंह भवन क्रमांक 94, प्रकरण क्रमांक 13/3/2020 स्वीकृत।

4. महेंद्र पिता रतन सिंह व कृपाल पिता रतन सिंह दोनों के स्वामित्व प्रमाण-पत्र अकोदिया नगर परिषद से कर्मचारी से संवाद करया जा रहा है।



इनके विठ्ठल कार्रवाई के लिए दिया आवेदन

सीएमओ रमेश वर्धमा।

1. अन्यून खा पिता सतार खा को निवासी वार्ड क्रमांक 3, जो अकोदिया नगर परिषद अकोदिया में स्थाई कार्यालय को स्वीकृत आवास प्रकरण क्रमांक 13/3/2020 स्वीकृत।

2. महेंद्र पिता रतन सिंह निवासी वार्ड क्रमांक एक अकोदिया का स्वयं का कोई मकान प्लाट व मकान नहीं है। स्वामित्व प्रमाण-पत्र माधेसिंह पिता छतर सिंह भवन क्रमांक 94, प्रकरण क्रमांक 13/3/2020 स्वीकृत।

5. देवेंद्र पिता रतन सिंह माधेसिंह निवासी वार्ड क्रमांक एक अकोदिया का स्वयं का कोई मकान प्लाट व मकान नहीं है। स्वामित्व प्रमाण-पत्र माधेसिंह पिता छतर सिंह भवन क्रमांक 95, प्रकरण क्रमांक 13/3/2020 स्वीकृत।



जिलाधीश को शिकायतकर्ता कृष्णकांत द्वारा कार्रवाई के लिए दिया आवेदन।

सूचना के अधिकार के माध्यम से प्रसाद हुए। दोनों साथ-पत्र पर आवास योजना का गतलाल तरीके से लाभ दिलाया। उसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में देवेंद्र पिता माधेसिंह को आवास योजना में लाभ दिलाया। जबकि देवेंद्र छौड़ान द्वारा अपनी पत्ती के नाम से अकोदिया मंडी में भवन बनाया सहित दिलाया। उसी देवेंद्र पिता माधेसिंह को आवास योजना में लाभ दिलाया। जबकि देवेंद्र छौड़ान द्वारा अपनी पत्ती के नाम से अकोदिया मंडी में भवन बनाया हुआ है, पिछे उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ कोदूंदा दिया गया। ये भी सोनीनीय विषय बन चुका है कि कहाँ ही आवास योजना भी भ्रष्टाचार करता है। भेट तो नहीं चढ़ गहँ।

अकोदिया नगर पंचायत में पदस्थ कर्मचारी समंदर सिंह छौड़ान द्वारा अपने सभी भाई-भतीजों का बीपीएल कार्यालय के अधिकार के माध्यम से प्रसाद हुए। दोनों साथ-पत्र पर आवास योजनाओं का गतलाल तरीके से लाभ दिलाया। उसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में देवेंद्र पिता माधेसिंह को आवास योजना में लाभ दिलाया। जबकि देवेंद्र छौड़ान द्वारा अपनी पत्ती के नाम से अकोदिया मंडी में भवन बनाया हुआ है, पिछे उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ कोदूंदा दिया गया। ये भी सोनीनीय विषय बन चुका है कि कहाँ ही आवास योजना भी भ्रष्टाचार करता है। यह भैंडे करीब 2 घंटे तक चली। संचालन भाजपा जिला महामंत्री सोनीनीय शायुआ ने किया एवं अभार भाजपा मंडल लाभ ले रही है।

वाहन रैली का हुआ आयोजन

माही की गूँज, शाजापुर।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिली एवं मध्यांदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशनामंत्री “आजादी का अमृत महोत्सव” के अंतर्गत सुनेन्द्र श्रीवास्तव प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा आवास योजना में तहसील विधिक सेवा समिति शुजालपुर के तत्वाधान में गांधी पार्क शुजालपुर मण्डी से अव्यैक्षकर पार्क शुजालपुर मण्डी से चूर्णवरण की रक्षा, न्यायालय परिसर शुजालपुर स्टीटी सुरक्षा बाल अपराध, महिलाओं के संरक्षण और विधिक सेवा आवास योजना में तहसील विधिक सेवा समिति जिला एवं दरिखात करते स्लॉगन की तवियां व अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के तत्वाधान में गांधी पार्क शुजालपुर मण्डी से चूर्णवरण की रक्षा, न्यायालय परिसर शुजालपुर स्टीटी सुरक्षा बाल अपराध, महिलाओं के संरक्षण और विधिक सेवा आवास योजना में तहसील विधिक सेवा समिति जिला एवं दरिखात करते स्लॉगन की तवियां व अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के तत्वाधान में गांधी पार्क शुजालपुर मण्डी से चूर्णवरण की रक्षा, न्यायालय परिसर शुजालपुर स्टीटी सुरक्षा बाल अपराध, महिलाओं के संरक्षण और विधिक सेवा आवास योजना में तहसील विधिक सेवा समिति जिला एवं दरिखात करते स्लॉगन की तवियां व अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के तत्वाधान में गांधी पार्क शुजालपुर मण्डी से चूर्णवरण की रक्षा, न्यायालय परिसर शुजालपुर स्टीटी सुरक्षा बाल अपराध, महिलाओं के संरक्षण और विधिक सेवा आवास योजना में तहसील विधिक सेवा समिति जिला एवं दरिखात करते स्लॉगन की तवियां व अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के तत्वाधान में गांधी पार्क शुजालपुर मण्डी से चूर्णवरण की रक्षा, न्यायालय परिसर शुजालपुर स्टीटी सुरक्षा बाल अपराध, महिलाओं के संरक्षण और विधिक सेवा आवास योजना में तहसील विधिक सेवा समिति जिला एवं दरिखात करते स्लॉगन की तवियां व अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के तत्वाधान में गांधी पार्क शुजालपुर मण्डी से चूर्णवरण की रक्षा, न्यायालय परिसर शुजालपुर स्टीटी सुरक्षा बाल अपराध, महिलाओं के संरक्षण और विधिक सेवा आवास योजना में तहसील विधिक सेवा समिति जिला एवं दरिखात करते स्लॉगन की तवियां व अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के तत्वाधान में गांधी पार्क शुजालपुर मण्डी से चूर्णवरण की रक्षा, न्यायालय परिसर शुजालपुर स्टीटी सुरक्षा बाल अपराध, महिलाओं के संरक्षण और विधिक सेवा आवास योजना में तहसील विधिक सेवा समिति जिला एवं दरिखात करते स्लॉगन की तवियां व अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के तत्वाधान में गांधी पार्क शुजालपुर मण्डी से चूर्णवरण की रक्षा, न्यायालय परिसर शुजालपुर स्टीटी सुरक्षा बाल अपराध, महिलाओं के संरक्षण और विधिक सेवा आवास योजना में तहसील विधिक सेवा समिति जिला एवं दरिखात करते स्लॉगन की तवियां व अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के तत्वाधान में गांधी पार्क शुजालपुर मण्डी से चूर्णवरण की रक्षा, न्यायालय परिसर शुजालपुर स्टीटी सुरक्षा बाल अपराध, महिलाओं के संरक्षण और विधिक सेवा आवास योजना में तहसील विधिक सेवा समिति जिला एवं दरिखात करते स्लॉगन की तवियां व

बिजली पोल तथा तारों से लिपटी हरी बेल से कोई अप्रिय घटना न हो जाए

माही की गूँज, आम्बुआ।

बिजली विभाग बिजली तारों के प्रति भ्रमण सजग रहती आई है मैटेनेस के तहत ऐसे ही पेंड-पौधों तथा उनकी टरनिया को इसलिए काट-छांट देते हैं ताकि यह शाखाएं तारों पर न चिपे। इसके बावजूद एक हरी-भरी बेल (लता) खंबे तरा तारों पर फैल रही है जिससे भविष्य में कोई अप्रिय घटना भी घटित होने की आशंका व्यक्त की जाए है।

आम्बुआ करेंसे से बाहर आम्बुआ-जोबट तिरहि के पास स्थित यात्री प्रतिशालय के पैंछे स्थित बिजली की हैवी लाइन के खंभे तथा तारों पर वर्षा काल में एक हरी बेल (लता) ऊपर तक चढ़ रही है, जो कि खंबे के साथ-साथ तारों को भी छू रही है। यह खंबा बिजली विभाग की नजर से वर्षा की अल्पता है यह चर्चा का विषय है। हरी बेल से नीचे तक करंट फैल सकता है। कोई जानवर इसे खाने द्वारा खंबे के पास जा सकता है। बिहुत लाइन के नीचे तथा आस-पास यात्री प्रतिशालय, भोजनालय, चाय नाशे की दुकान, मोटरसाइकिल मैनेकिंग की दुकान आदि है। यदि कोई हादसा होता है तो इहें तथा यहां उपस्थित लोगों को हानि हो सकती है। दुकानदारों की मानी है कि बिजली विभाग इस बेल को तलाक निकालकर भविष्य में होने वाली दुर्घटना की आशंका का समाधान करें।



सहायक यंत्री, उपयंत्री, रोजगार सहायक और सरपंच को शोकाज नोटिस जारी

जांच दल के प्रतिवेदन पर हुई कार्रवाई शुरू, सरपंच-सचिव के विषद् धारा 40 और 92 की कार्रवाई प्रस्तावित

माही की गूँज, पेटलावाड़।

ग्राम पंचायत बामनिया के काजलीया फैलिये में बने मनरेगा योजना अंतर्गत 8 लाख 40 हजार की लागत से दो वर्ष पूर्व बने निस्तरार तालाब भ्रष्टाचार की भैंटे चढ़ गया था और बनने के बाद हफ्ती ही बारिश में पूर्ण जाने के दो साल बाद गृज की लातार पहला के बाद अधिकारीयोंने मामले के सूल ली और जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिला मनरेगा अधिकारी के नेतृत्व में जांच दल ने यैके पर पहुंच कर कार्य की जाच की जिसमें भारी लापतवाही और घटिया निर्माण की पोल खुल गयी थी और उत्तरीं पर मध्यादेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 में निर्धारित प्रावधान के तहत कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। नोटिस में बताया गया कि, आपके द्वारा कार्य में गुणवत्ताहीन सामग्री और निर्माण कार्य का उपयोगहीन मूल्यांकन के लिए राशि खबर का असर...



दो वर्ष से अधिकारियों को कर रहे थे गुमराह, भाजपा की जिला मंत्री पर संगठन करेगा कार्रवाई या देगा संरक्षण ?

खोबला साबित करते हैं ये देखना होगा।

अधिकारियों की जिम्मेदारी बड़ी

ग्राम पंचायत बामनिया में वर्ष 2018 में बने तालाब के पूर्ने के बारे में बताया गया है। हालांकि ग्राम पंचायत संचार और सत्ताधारी नेताओं द्वारा मामले के लातार रस्क-दफ़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते मामले के दबावा जा रहा था। गूंज ने मुद्रे को प्रमुखता से उत्तरांक जिसके बाद अब कहीं जाकर रामले से जुड़े सभी पक्षों को शोकाज (कारण बताओ) नोटिस जारी किया गया है।

सहायक यंत्री, उपयंत्री, रोजगार सहायक और सरपंच को शोकाज नोटिस जारी

भ्रष्टाचार के मामलों में अक्सर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती जिसके कारण भ्रष्टों को रोक पाना मुश्किल हो रहा है, बामनिया पंचायत में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला रहा था। लगातार भ्रष्टाचार के मामले उड़ाजर होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन घटिया तालाब निर्माण मामले में जांच दल के प्रतिवेदन के बाद तकलीन सहायक यंत्री डीसी अग्रवाल, उपयंत्री हरचंद मैदा, सरपंच रामकन्या मर्होड़ और रोजगार सहायक भेरुलाल मैदा को शोकाज नोटिस जारी किया

ग्राम पंचायत बामनिया की संचार रामकन्या मर्होड़ को न्यायालय मुख्य कार्य पालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी की और से धारा 40 की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40/92 में निर्धारित ग्राम पंचायत संचार और रामकन्या मर्होड़ पर संचार विभाग का कार्रवाई करने और राशि वसूलने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

ग्राम पंचायत बामनिया में वर्ष 2018 में बने तालाब के पूर्ने के बारे में बताया गया है। हालांकि ग्राम पंचायत संचार और सत्ताधारी नेताओं द्वारा मामले के लातार रस्क-दफ़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। गूंज ने मुद्रे को प्रमुखता से उत्तरांक जिसके बाद अब कहीं जाकर रामले से जुड़े सभी पक्षों को शोकाज (कारण बताओ) नोटिस जारी किया गया है।

सरपंच रामकन्या मर्होड़ पर धारा 40 की कार्रवाई का प्रस्ताव

बामनिया में वर्ष 2018 में बने तालाब के पूर्ने के बारे में बताया गया है। हालांकि ग्राम पंचायत संचार और सत्ताधारी नेताओं द्वारा मामले के लातार रस्क-दफ़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। गूंज ने मुद्रे को प्रमुखता से उत्तरांक जिसके बाद अब कहीं जाकर रामले से जुड़े सभी पक्षों को शोकाज (कारण बताओ) नोटिस जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत बामनिया में वर्ष 2018 में बने तालाब के पूर्ने के बारे में बताया गया है। हालांकि ग्राम पंचायत संचार और सत्ताधारी नेताओं द्वारा मामले के लातार रस्क-दफ़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। गूंज ने मुद्रे को प्रमुखता से उत्तरांक जिसके बाद अब कहीं जाकर रामले से जुड़े सभी पक्षों को शोकाज (कारण बताओ) नोटिस जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत बामनिया में वर्ष 2018 में बने तालाब के पूर्ने के बारे में बताया गया है। हालांकि ग्राम पंचायत संचार और सत्ताधारी नेताओं द्वारा मामले के लातार रस्क-दफ़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। गूंज ने मुद्रे को प्रमुखता से उत्तरांक जिसके बाद अब कहीं जाकर रामले से जुड़े सभी पक्षों को शोकाज (कारण बताओ) नोटिस जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत बामनिया में वर्ष 2018 में बने तालाब के पूर्ने के बारे में बताया गया है। हालांकि ग्राम पंचायत संचार और सत्ताधारी नेताओं द्वारा मामले के लातार रस्क-दफ़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। गूंज ने मुद्रे को प्रमुखता से उत्तरांक जिसके बाद अब कहीं जाकर रामले से जुड़े सभी पक्षों को शोकाज (कारण बताओ) नोटिस जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत बामनिया में वर्ष 2018 में बने तालाब के पूर्ने के बारे में बताया गया है। हालांकि ग्राम पंचायत संचार और सत्ताधारी नेताओं द्वारा मामले के लातार रस्क-दफ़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। गूंज ने मुद्रे को प्रमुखता से उत्तरांक जिसके बाद अब कहीं जाकर रामले से जुड़े सभी पक्षों को शोकाज (कारण बताओ) नोटिस जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत बामनिया में वर्ष 2018 में बने तालाब के पूर्ने के बारे में बताया गया है। हालांकि ग्राम पंचायत संचार और सत्ताधारी नेताओं द्वारा मामले के लातार रस्क-दफ़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। गूंज ने मुद्रे को प्रमुखता से उत्तरांक जिसके बाद अब कहीं जाकर रामले से जुड़े सभी पक्षों को शोकाज (कारण बताओ) नोटिस जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत बामनिया में वर्ष 2018 में बने तालाब के पूर्ने के बारे में बताया गया है। हालांकि ग्राम पंचायत संचार और सत्ताधारी नेताओं द्वारा मामले के लातार रस्क-दफ़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। गूंज ने मुद्रे को प्रमुखता से उत्तरांक जिसके बाद अब कहीं जाकर रामले से जुड़े सभी पक्षों को शोकाज (कारण बताओ) नोटिस जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत बामनिया में वर्ष 2018 में बने तालाब के पूर्ने के बारे में बताया गया है। हालांकि ग्राम पंचायत संचार और सत्ताधारी नेताओं द्वारा मामले के लातार रस्क-दफ़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। गूंज ने मुद्रे को प्रमुखता से उत्तरांक जिसके बाद अब कहीं जाकर रामले से जुड़े सभी पक्षों को शोकाज (कारण बताओ) नोटिस जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत बामनिया में वर्ष 2018 में बने तालाब के पूर्ने के बारे में बताया गया है। हालांकि ग्राम पंचायत संचार और सत्ताधारी नेताओं द्वारा मामले के लातार रस्क-दफ़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। गूंज ने मुद्रे को प्रमुखता से उत्तरांक जिसके बाद अब कहीं जाकर रामले से जुड़े सभी पक्षों को शोकाज (कारण बताओ) नोटिस जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत बामनिया में वर्ष 2018 में बने तालाब के पूर्ने के बारे में बताया गया है। हालांकि ग्राम पंचायत संचार और सत्ताधारी नेताओं द्वारा मामले के लातार रस्क-दफ़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। गूंज ने मुद्रे को प्रमुखता से उत्तरांक जिसके बाद अब कहीं जाकर रामले से जुड़े सभी पक्षों को शोकाज (कारण बताओ) नोटिस जारी किया गया है।

ग्राम पंचायत बामनिया में वर्ष 2018 में बने तालाब के पूर्ने के बारे में बताया गया है। हालांकि ग्राम पंचायत संचार और सत्ताधारी नेताओं द्वारा मामले के लातार रस्क-दफ़ करने क

